

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 612/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

निरल होरो.....आवेदक/ विक्रेता

लालसाय मुण्डा.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
03.01.2024	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती निरल होरो पिता/पति स्व0 जोसेफ होरो ग्राम-बिचना, पो0-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><u>भूमि का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">बिचना</td> <td rowspan="3">262</td> <td rowspan="3">62</td> <td>879</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>880</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.17</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती निरल होरो पिता/पति स्व0 जोसेफ होरो ग्राम-बिचना, पो0-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती लालसाय मुण्डा पिता/पति स्व0 बुधवा मुण्डा ग्राम-गम्हरिया, पो0-जलटण्डा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0071696011 की छायाप्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 870 दिनांक 29.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम शीमन मुण्डा वगैरह है। आवेदक</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	बिचना	262	62	879	0.11	880	0.06		0.17	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)												
बिचना	262	62	879	0.11												
			880	0.06												
				0.17												



पंजी II रैयतों में से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 113 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 928 दिनांक 20.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/415571 दिनांक 19.10.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2022/459472 दिनांक 28.10.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 870 दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती निरल होरो पिता/पति स्व० जोसेफ होरो ग्राम-बिचना, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती लालसाय मुण्डा पिता/पति स्व० बुधवा मुण्डा ग्राम-गम्हरिया, पो०-जलटण्डा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के साथ ग्राम बिचना के खाता सं० 62 खेसरा संख्या 879 एवं 880 क्रमश रकबा 0.11 एकड़ एवं 0.06 एकड़ कुल रकबा 0.17 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।